

सी एस आई आर - राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान  
डॉ के एस कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली - 110012

स. बिल/जीएसटी/2017-18

दिनांक: 30.08.2017


परिपत्र

विषय: सीएसआईआर- निस्केयर का माल एवं सेवा कर (GST) के अधीन पंजीकरण-सूचना हेतु

संस्थान के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि संस्थान ने माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वयं को माल एवं सेवा कर (GST) हेतु पंजीकृत कर लिया है। सी एस आई आर- निस्केयर का माल एवं सेवा कर पंजीकरण संख्या निम्न है :

07AAATC2716R6ZC

सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वह माल एवं सेवा कर (GST) को नियमानुसार वसूल करे। माल एवं सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र (GST Registration Certificate) इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

  
(नीरजा रावल)

आहरण एवं वितरण अधिकारी

प्रति :

1. सभी विभागों के प्रमुख
2. अनुभाग अधिकारी - सामान्य विभाग
3. वित्त एवं लेखा अधिकारी
4. क्रय एवं भंडार अधिकारी
5. निजी सचिव - निदेशक
6. आई टी विभाग - सीएसआईआर निस्केयर की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु
7. सभी सूचना पट्ट - दोनों परिसर में



सत्यमेव जयते

Government of India  
Form GST REG-06  
[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number :07AAATC2716R6ZC

1.	Legal Name	Council Of Scientific And Industrial Research			
2.	Trade Name, if any	CSIR-NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE			
3.	Constitution of Business	Society/ Club/ Trust/ AOP			
4.	Address of Principal Place of Business	CSIR-NISCAIR, NISCAIR B, DR.K.S.KRISHNAN MARG, PUSA GATE NEW DELHI, West Delhi, Delhi, 110012			
5.	Date of Liability				
6.	Period of Validity	From	28/08/2017	To	NA
7.	Type of Registration	Regular			
8.	Particulars of Approving Authority	Delhi Goods and Services Tax Act, 2017			
Signature					
Name		Dharampal			
Designation		Sales Tax Officer Class II / AVATO			
Jurisdictional Office		11			
9.	Date of issue of Certificate	28/08/2017			
Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.					

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the approval of the application by the jurisdictional tax authority

30/8/17